



न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), पीलीभीत।

मूलवाद सं0-529/2022

सुखविन्दर सिंह आदि

बनाम

फकीरे लाल वर्मा आदि

दिनांक-29.03.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उभयपक्ष की ओर से पूर्व में ही संधिपत्र कागज सं0-9क/1 लगायत 9क/2 दाखिल किया जा चुका है। पत्रावली प्रार्थना पत्र 9क/1 लगायत 9क/2 के निस्तारण हेतु नियत है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उभयपक्ष की ओर से संधिपत्र कागज सं0-9क/1 लगायत 9क/2 में याचना की गयी है कि उक्त वाद उक्त संधिपत्र के आधार पर निर्णीत करने की कृपा की जाये।

पत्रावली पर उपलब्ध संधिपत्र कागज सं-9क/1 लगायत 9क/2 पर उपलब्ध वादीगण के हस्ताक्षर व फोटोग्राफ की पहचान उसके विद्वान अधिवक्ता राशिद मियां कदीरी एडवोकेट द्वारा तथा प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर व फोटोग्राफ की पहचान उसके विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश पाठक, एडवोकेट द्वारा पूर्व में की जा चुकी है तथा संधिपत्र कागज सं0-9क/1 लगायत 9क/2 की विषय वस्तु तथा उसमें वर्णित शर्तों को उभयपक्ष को उनके विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया जा चुका है। सुनने व समझने के उपरान्त उभयपक्ष द्वारा संधिपत्र कागज सं0-9क/1 लगायत 9क/2 अपनी स्वतन्त्र इच्छा व सहमति एवं बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाना पूर्व में ही स्वीकार किया जा चुका है। संधिपत्र कागज सं-9क/1 लगायत 9क/2 न्यायालय द्वारा पूर्व में ही तस्दीक किया जा चुका है। अतः संधिपत्र कागज सं-9क/1 लगायत 9क/2 **विधिक शर्तों के अधीन** स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद संधिपत्र कागज सं0-9क/1 लगायत 9क/2 **विधिक शर्तों के अधीन** निर्णीत एवं आज्ञप्त किया जाता है। संधिपत्र कागज सं0-9क/1 लगायत 9क/2 निर्णय एवं डिक्री का भाग होगा।

प्रस्तुत संधिपत्र कागज सं0-9क/1 लगायत 9क/2 का प्रभाव केवल पक्षकारों की अपने स्वत्व तथा विधिक कब्जे की सम्पत्ति पर ही होगा एवं सद्भावी क्रेता एवं राज्य सरकार या गांव सभा की भूमि पर लागू नहीं होगा। उभय पक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शुभी अग्रवाल)
सिविल जज (जू0डि0),
पीलीभीत।